दिनॉक 24-9-08 को उत्तरांचल उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 2 (1क) के अनुपालन में खनिज समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता, देहरादून।
3. ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून।

बैठक में सिविल अपील संख्या 800/2005 डोईवाला सहकारी श्रम संविदा समिति बनाम उत्तराखण्ड राज्य सिविल अपील संख्या 678/2005 व 679/2005 में दिनॉक 12-12-06 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निर्गत शासनादेश संख्या 2999/VII-1-08/08 सि0/2003 दिनांक 29 अगस्त 2008 द्वारा डोईवाला सहकारी श्रम संविदा समिति को [illegible] वन प्रभाग के अन्तर्गत वन क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली टौंस नदी [illegible] 2 [illegible] ब्लॉक में 25 एकड़ तथा प्लाट सं0 3 [illegible] नदी में 28.42 एकड़ नदीतल क्षेत्र से उपखनिज साधारण [illegible] आदि के चुगान/खनन के 10 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा [illegible] की गई अनुमति पर विचार किया गया। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी चकराता ने विचार व्यक्त किया कि डोईवाला सहकारी श्रम संविदा समिति के पट्टाकृत क्षेत्र का सीमांकन समिति द्वारा संलग्न मानचित्र के अनुसार वन निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में इस प्रकार किया जायेगा कि भविष्य में दोनो पक्षों के मध्य मार्ग सम्बन्धी कोई भी विवाद उत्पन्न न हो। प्रभागीय वनाधिकारी चकराता ने यह भी विचार व्यक्त किया कि आवेदक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय मे वन विभाग को पक्षकार न बनाने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायायलय में वन विभाग का पक्ष नही रखा जा सका। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवेदक को जिस क्षेत्र में पट्टा निर्गत करने का आदेश दिया गया है उसका अनुपालन करना समीचीन होगा। एन0पी0वी0 की धनराशि, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रीवर ट्रेनिग वर्क की धनराशि [illegible] से तीन दिन की अवधि में सूचित करेगा। समिति द्वारा धनराशि जो देय [illegible] होगी तदनुसार समिति को पट्टा निर्गत किया जायेगा।

ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून ने विचार व्यक्त किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आवेदक को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित क्षेत्र में खनन पट्टा दिया जाना उचित होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, देहरादून ने मत व्यक्त किया कि वन संरक्षण अधिनियम के सैक्शन 2 में दी गई अनुमति संख्या 8-80/93 एफ0सी0 दिनॉक 25-2-97 कार्यादेश निर्गत करने के लिये पर्याप्त

दून वैली नोटिफिकेशन के अनुसार पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय की अनुमति भी ली जानी उचित होगी। अन्त में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डोईवाला सहकारी श्रम संविदा समिति को उल्लिखित नदियों व क्षेत्रों से उपखनिज साधारण रेत, बजरी, बोल्डर आदि निकालने हेतु 10 वर्ष का खनन पट्टा का स्वीकृत प्रस्तावित शर्तों के साथ निर्गत किया जाय।

अपर जिलाधिकारी (वि० रा०)
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

पत्रांक/1095 /खनिज–2008 दिनांक सितम्बर 27 2008

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रमुख सचिव, महोदय औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

जिलाधिकारी महोदय देहरादून।

बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण ।

27.09.08
अपर जिलाधिकारी (वि० रा०)
देहरादून।